संख्या 334307/2025 / XXVII(9) / 01 / वि0अ0क0प्र0 / 2024 / ई–91564

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

2– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 15 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2025

विषयः– सरकारी विभाग / सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थानों आदि के अप्रयुक्त भवन को एक विभाग से दूसरे विभाग को आवश्यकतानुसार हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि एक राजकीय विभाग के पास अप्रयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग की उपलब्धता होने व अन्य दूसरे राजकीय विभाग / राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि को उसकी आवश्यकता होने की स्थिति में नियम / प्रक्रियाओं की सुस्पष्टता न होने के कारण राजकीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सेवा विभागों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त भवनों को एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में संस्तुति हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, भवन हस्तान्तरणकर्ता विभाग (Lending Department) के अधिकारी एवं भवन प्राप्तकर्ता / उपयोगकर्ता विभाग (Recipient Department) के अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होगें।

2– इस सम्बन्ध में कियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम / शर्ते निर्धारित की जाती हैं।

(क) सरकारी / सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि के अप्रयुक्त भवन का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा, भवन का उतना ही भाग हस्तानान्तरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।

(ख) जिस परियोजना के लिए सरकारी / सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि के अप्रयुक्त भवन का हस्तान्तरण किया जा रहा हो, वह एक अनुमोदित परियोजना हो, और उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा चुका हो।

(ग) उक्त भवन का किसी अन्य कार्य के लिये प्रयोग न हो रहा हो।

(घ) हस्तान्तरित सरकारी/सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थान आदि के अप्रयुक्त भवन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिए भवन हस्तान्तरित किया गया है। यदि हस्तान्तरित किये गये उक्त भवन का प्रयोजित/निर्धारित कार्य से इतर उपयोग किया जाता है अथवा ससमय उपयोग नहीं किया जाता है, तो उक्तानुसार हस्तानान्तरित भवन को नियमानुसार मूल विभाग को वापस करना होगा।

3– समिति की संस्तुति पर राज्य के सक्षम प्राधिकारी (सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी) द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगें।

4– उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन वर्ष 2018) (समय–समय पर यथासंशोधित) में यथा समय संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 14-10-2025 15:47:53

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–334307 (1)/2025/XXVII(9)/01/वि0अ0क0प्र0/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, कुमाँयु मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट) उत्तराखण्ड।
11. निदेशक विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 14-10-2025 15:15:46

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।